समाहरणालय, पटना।
(जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग)

फोन नं0 0612–2219030(का0)
E-mail – adsspatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

संचिका सं0 XXXXVII-01/2018, पत्रांक ..03......./दि0स0को0, दिनांक 11-01-19

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

वरीय पुलिस अधिक्षक,
पटना।

उप विकास आयुक्त,
पटना।

अपर समाहर्त्ता,
पटना।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना।

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना।

सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
पटना।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पटना।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
आई0सी0डी0एस0, पटना।

लीड बैंक प्रबंधक,
जिला अग्रणी बैंक, पटना।

श्रम अधीक्षक,
पटना।

जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी,
पटना।

जिला नियोजन पदाधिकारी,
पटना।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल/
पथ प्रमण्डल, पटना।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पटना।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
पटना।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पटना।

जिला परिवहन पदाधिकारी,
पटना।

जिला अभियंता,
जिला परिषद्, पटना।

जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी,
पटना।

जिला कृषि पदाधिकारी,
पटना।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला आपदा प्रबंधन, पटना।

जिला खेल–कूद पदाधिकारी,
पटना।

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई,
पटना।

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
पटना।

कार्यपालक अभियंता, जिला लोक स्वास्थ्य
एवं अभियंत्रण, पटना।

निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना।

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी,
पटना।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी,
पटना।

जिला प्रबंधक,
जीविका, पटना।

जिला प्रबंधक,
बुनियाद केन्द्र, पटना।

विषयः– **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– **अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 930/आ0नि0को0, दिनांक 13.12.2018 एवं राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक 27/आ0नि0को0, दिनांक 10.01.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना का कार्यक्रम दिनांक 15.01.2019 से दिनांक 19.01.2019 तक चलन्त न्यायालय एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई हेतु विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित थी, लेकिन पटना जिले में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, विधि व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा विभिन्न परीक्षाओं के संचालन को देखते हुये राज्य आयुक्त, निःशक्तता से मोबाईल से हुई वार्ता के आलोक में उक्त कार्यक्रम को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :–

क्र0	तिथि	आगमन / प्रस्थान / समय सारणी	कार्यक्रम / बैठक स्थल	कार्यक्रम
01	15.01.2019 (मंगलवार)	2.30 PM बजे	परिसदन, पटना	इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ सम्वाददाता / प्रेस वार्ता
02	16.01.2019 (बुधवार)	11.00 AM बजे से 02.00 PM बजे तक	सभा कक्ष, समाहरणालय, पटना	ज़िला पदाधिकारी एवं उपरोक्त सभी ज़िला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यागजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा)
03	17.01.2019 (वृहस्पतिवार)	11.00 AM बजे से 02.00 PM बजे तक	पटना नगर निगम, सभा कक्ष	जनप्रतिनिधियों / पंचायत प्रतिनिधि एवं सिविल सोसाईटी के साथ बैठक
		03.00 PM बजे से 05.00 PM बजे तक	सी0आर0सी0, शेखपुरा, पटना	स्वयंसेवकों (Volunteers) / रेड क्रॉस, समावेशी शिक्षकों (समग्र शिक्षा) एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों के साथ बैठक (जहाँ चलन्त न्यायालय लगाया जाना है) ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार के PLV (न्यायमित्र) के Volunteers के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक
04	18.01.2019 (शुक्रवार)	10.00 AM बजे से 07.00 PM बजे तक (अंतिम निष्पादन तक)	सी0आर0सी0, शेखपुरा, पटना	दिव्यागजनों के परिवादों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)
05	19.01.2019 (शनिवार)	10.00 AM बजे से 07.00 PM बजे तक (अंतिम निष्पादन तक)	सी0आर0सी0, शेखपुरा, पटना	दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक बैठक में भाग लेते हुये चलन्त न्यायालय के सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ज़िला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक XXXXVII-01/2018 ......03...... / दि0स0को0, दिनांक ...11-01-19...

प्रतिलिपिः– नजारत उप समाहर्त्ता, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक 15.01.2019 को परिसदन में राज्य आयुक्त, निःशक्तता के लिए एक कमरा आरक्षित करना सुनिश्चित की जाय।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि चलन्त न्यायालय हेतु विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– निदेशक, सी0आर0सी0, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

11/1/19

ज़िला पदाधिकारी,
पटना।